न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 17/2022

प्रार्थी –

रमेश कुमार जैन पुत्र मुकनचन्द
जैन निवासी वार्ड नंबर 10
बालोतरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

सरपंच, ग्राम पंचायत पचपदरा

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध विक्रय विलेख सं. 216 जो प्रस्ताव सं. 11 दिनांक 23.09.1972 के अनुसरण में ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2022

प्रार्थी –

सतीश खिंवसरा पुत्र मुकनचन्द
जैन निवासी वार्ड नंबर 10
बालोतरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

सरपंच, ग्राम पंचायत पचपदरा

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 82 एवं 99 दिनांक क्रमशः 20.02.2009 एवं 15.12.2012 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– उक्त दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में
1. प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 17.10.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों का एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 के तहत ग्राम पचपदरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का प्रस्ताव/पट्टा संख्या 11, 82 एवं 99 दिनांक क्रमशः 23.09.1972, 20.02.2009 एवं 15.12.2012 जारी किये गये। इन प्रस्ताव/पट्टा विलेखों को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त प्रस्ताव/पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त दो अलग–अलग निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।
3. अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत पचपदरा का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी को ग्राम विकास अधिकारी पंचायत कार्यालय पचपदरा द्वारा श्री बादरमल पुत्र श्री भीखचन्द जाति जैन निवासी पचपदरा को मिसल 216 एवं 30 सन् 72, 73 विक्रय विलेख दिनांक 01.02.1973 जरिये पट्टा सं. 11 पुरानी कब्जाशुदा भूमि बताकर जरिये नीलामी भूमि पट्टा जारी करने की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्ताव/पट्टे की सम्पर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियाँ ग्राम पंचायत कार्यालय से मांगी गईं जो उसे नहीं दी गई। इस पर प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किये गये आलौच्य दोनों प्रस्ताव/पट्टे निरस्त कराये जावें।
5. अप्रार्थीगण बवजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रकरण एकपक्षीय निस्तारित किया गया।
6. हमने हस्तगत पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत पचपदरा से प्राप्त अभिलेख का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.02.2014 के संकल्प सं. 3 में आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने बाबत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया हैं। उक्त संकल्प में उल्लेखित किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:29 IST
Reason: SelfAttested

गया हैं – ''सदन के समक्ष सचिव ने गत बैठक दिनांक 20.12.2003 प्रस्ताव स. 2, बैठक दिनांक 05.01.2014 प्रस्ताव सं. 2, दिनांक 20.01.2014 के प्रस्ताव सं. 2 बैठक दिनांक 05.02.2014 के प्रस्ताव सं. 3 में की गई समस्त कार्यवाही सदन के समक्ष पढ़कर सुनायी गयी। सदन द्वारा सभी पत्रावलियों का पुनः अवलोकन किया एवं सभी पत्रावलियों को सही पाया गया। सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थियों से रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये लेकर नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी कर दिया जावे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।'' इस प्रकार आलौच्य पट्टा सं. 99 जो इन्द्रा देवी के पक्ष में जारी किया गया हैं उसके लिये ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से पारित संकल्प द्वारा विधिसम्मत रूप से प्रक्रिया का पालन किया जाना पाया जाता हैं। इसी प्रकार आलौच्य पट्टा सं. 82 हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय में पत्रावली सं. 277 दिनांक 20.02.2009 को संधारित की जाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए बैठक दिनांक 20.09.2009 में संकल्प सं. 03 के अनुसरण में उक्त पट्टा जारी किया गया हैं। निगरानी सं. 17/2022 में आलौच्य विक्रय विलेख सं. 216 जो प्रस्ताव सं. 11 दिनांक 23.09.1972 के अनुसरण में ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किया गया हैं, अत्यधिक पुराना होने पट्टा रजिस्टर के अलावा अन्य कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया हैं। उक्त पट्टा रजिस्टर से प्राप्त पट्टा विलेख का अवलोकन करने से प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती हैं, इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूमि में अपना हक–हिस्सा होना मानता हैं तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उक्त पट्टा विलेखों के जारी करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता का उल्लेख नहीं किया हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरणों में आलौच्य पट्टे जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर

प्रस्तुत उक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह दोनो ही निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:20 IST
Reason: SelfAttested